भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 156

04 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

धातु स्क्रैपिंग केंद्र

156. श्री पी. विल्सन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 के तहत देश में धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना के संबंध में सरकार की कोई प्रतिक्रिया है;

(ख) विभिन्न प्रकार के इस्पात उत्पादन से उत्पन्न लौह स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार संग्रहण, विघटन और श्रेडिंग गतिविधियों के लिए मानक दिशानिर्देश प्रदान करने वाली कोई रूपरेखा लेकर आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) से (घ): इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को 7 नवम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। इस नीति में विभिन्न स्रोतों से सृजित फेरस स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए भारत में धातु स्क्रैपिंग केन्द्रों की स्थापना को सुविधा प्रदान करना और बढ़ावा देने की रूपरेखा प्रदान की गई है। इस नीतिगत रूपरेखा में संगठित, सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से उचित तरीकों से संग्रहण, विखण्डन एवं श्रेडिंग गतिविधियों हेतु मानक दिशानिर्देशों का प्रावधान किया गया है, ताकि प्रदूषण पर अंकुश लग सके और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोका जा सके।

*****